प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1612/2005

याचिकाकर्ता - राजकुमारी, आयु लगभग 31 वर्ष, पति एडवेल मिंज, पिता सहबल लोहार, जाति अघरिया (लोहरा), सरपंच ग्राम पंचायत केनवरा, निवासी ग्राम केनवरा, थाना एवं तहसील प्रतापपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. कलेक्टर, सरगुजा (छ.ग.)

3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर, सरगुजा (छ.ग.)

4. निर्वाचन अधिकारी, द्वारा तहसीलदार, प्रतापपुर, सरगुजा (छ.ग.)

5. मालती देवी, पति चंडी प्रसाद, जाति गोंड, निवासी ग्राम केनवरा (पार्वतीपुर), थाना एवं तहसील प्रतापपुर, सरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

श्री डी.एन. प्रजापति, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्रीश्री ए.एस. कछवाहा, शासकीय अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 के लिए। श्री के.आर. नायर, उत्तरवादी क्रमांक 5 के अधिवक्ता।

.....

आदेश

(आज दिनांक 29 जून, 2007 को पारित किया गया।)

1. *इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर, जिला सरगुजा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 11.4.2005 (अनुलग्नक पी./1) की वैधानिकता और विधिमान्यता को चुनौती देता है, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत केनवरा, तहसील प्रतापपुर, जिला सरगुजा के सरपंच के पद पर याचिकाकर्ता के निर्वाचन को निरस्त कर दिया गया था और उत्तरवादी क्रमांक 5 को निर्विरोध निर्वाचित सरपंच घोषित किया गया था।*

2. संक्षेप में, निर्विवाद तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत केनवरा में सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति (इसके बाद "अ.ज.जा." के रूप में संदर्भित) के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य द्वारा जारी अपने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर और अ.ज.जा. समुदाय का सदस्य होने के नाते नामांकन दाखिल किया था, और उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा उठाई गई आपत्ति के बावजूद, उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई और उसे निर्वाचित घोषित किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. एक शिकायत कलेक्टर-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापपुर के समक्ष दायर की गई थी। उक्त शिकायत के आधार पर, इस विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए मामला उत्तरवादी क्रमांक 3/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर को संदर्भित किया गया था कि क्या याचिकाकर्ता अ.ज.जा. समुदाय का सदस्य है या नहीं। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर और सभी पक्षकारों को सुनने के पश्चात यह धारित किया कि याचिकाकर्ता 'लोहारा' समुदाय से संबंध रखता है, जो बिहार राज्य में अ.ज.जा. के रूप में अधिसूचित हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में इसे अ.ज.जा. समुदाय के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। अतः, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन की स्वीकृति दोषपूर्ण थी और तदनुसार निर्वाचन को निरस्त कर दिया

गया तथा अगले उम्मीदवार, अर्थात उत्तरवादी क्रमांक 5 को निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

4. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर यह याचिका दायर की है कि याचिकाकर्ता की जाति के संबंध में विवाद का निर्णय न तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा और न ही किसी अन्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा **कुमारी माधुरी पाटिल एवं एक अन्य बनाम अपर आयुक्त, जनजातीय विकास एवं अन्य**[1] तथा **महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम रवि प्रकाश बाबूलालसिंग परमार एवं एक अन्य**[2] के मामलों में पारित निर्णय और आदेश का अवंलब लिया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेख और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि राजस्व अधिकारियों ने मामले को जाति छानबीन समिति को संदर्भित किए बिना ही याचिकाकर्ता की जाति का निर्णय कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उच्चतम न्यायालय ने **महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम रवि प्रकाश बाबूलालसिंग परमार एवं अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में निम्नानुसार अवलोकित किया:-

> **"12.** जाति छानबीन समिति एक **अर्ध-न्यायिक निकाय** है। इसकी स्थापना एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए की गई है। यह सामाजिक और संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसका गठन संविधान के साथ होने वाले कपट को रोकने के लिए किया गया है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों से बाध्य नहीं हो सकती है, लेकिन वरिष्ठ न्यायालयों के लिए यह निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा कि उसे साक्ष्यों का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। एक अर्ध-न्यायिक निकाय के समक्ष किसी मामले में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य

1 (1994) 6 SCC 214
2 2006 AIR SCW 6093

केवल दस्तावेजी साक्ष्यों की स्वीकार्यता तक सीमित नहीं हो सकते। आवश्यकतानुसार इसमें मौखिक साक्ष्य भी लेने पड़ सकते हैं।

13. इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति प्रत्येक मामले में अलग-अलग होगी। साक्ष्य प्रस्तुत करने के किसी पक्ष के अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। यह कहना एक बात है कि एक अर्ध-न्यायिक निकाय को अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का कानूनी रूप से मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि उसे मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देनी चाहिए।"

"उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह धारित किया है कि किसी व्यक्ति की जाति के संबंध में विवाद का निर्णय केवल जाति छानबीन समिति द्वारा ही किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने आगे वह प्रक्रिया भी दी है कि जाति छानबीन समिति को विवाद का निर्णय किस प्रकार करना चाहिए। कानून के इस सुस्थापित सिद्धांत के आलोक में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर ने यह घोषित करने में अपने अधिकारिता का उल्लंघन किया है कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति का नहीं था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पूर्वोक्त के आलोक में, उत्तरवादी क्रमांक 3/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 11.4.2005 (अनुलग्नक पी./1) को अपास्त किया जाता है। मामले को जाति छानबीन समिति द्वारा याचिकाकर्ता की जाति पर निर्णय लिए जाने के पश्चात, नए सिरे से निर्णय हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर को वापस प्रेषित किया जाता है। तदनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य (पूर्वोक्त) तथा महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम रवि प्रकाश बाबूलालसिंग परमार एवं अन्य (पूर्वोक्त) के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार निर्णय हेतु मामले को जाति छानबीन समिति को संदर्भित करें।

9. इस तथ्य को देखते हुए कि निर्वाचन 23.1.2004 को हुआ था और इसे 11.4.2005 को निरस्त कर दिया गया था, जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 5 को निर्विरोध निर्वाचित

सरपंच घोषित किया गया था, यह अपेक्षा की जाती है कि जाति छानबीन समिति इस विवाद का निर्णय यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर करेगी। याचिकाकर्ता, अपनी जाति के संबंध में उठाए गए विवाद को देखते हुए, सरपंच का पद ग्रहण करने का पात्र नहीं है और ग्राम पंचायत केनवरा के सरपंच का पद रिक्त रखा जा सकता है। अंतरिम व्यवस्था के रूप में पद को भरने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 38 के प्रावधानों के तहत उचित कदम उठाए जाएं।

10. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और मामले को ऊपर बताए गए निर्देशों के आलोक में नए सिरे से न्यायनिर्णयन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर को वापस प्रेषित किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**